रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230916
CG-DL-E-02112021-230916

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 2, 2021/कार्तिक 11, 1943
No. 625] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 2, 2021/KARTIKA 11, 1943

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 773(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 13 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और 'ख' हिंदी पद) भर्ती नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और 'ख' हिंदी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' हिंदी पद) भर्ती नियम, 2016 में, (जिन्हें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है), नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्त :-

"2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर, -- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर को इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।"

3. उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

(क) सहायक निदेशक (राजभाषा) पद से सम्बंधित क्रम संख्या 1 के सामने,—

(i) स्तंभ (4) में स्तंभ शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित स्तंभ शीर्ष और प्रविष्टियां रखी जाएँगी, अर्थात :-

" वेतन मैट्रिक्स में स्तर"
(4)
स्तर 10 (56100 - 177500 रु.)";

(ii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रोन्नति उपशीर्ष में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु." शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 - 142400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) प्रोन्नति उपशीर्ष में टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ग) प्रोन्नति उपशीर्ष में, "ज्येष्ठ अनुवादक" शब्दों के स्थान पर, "वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) प्रतिनियुक्ति उपशीर्ष में, मद (क) में, उप-मद (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900 - 142400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) प्रतिनियुक्ति उपशीर्ष में टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा ।

(ख) ज्येष्ठ अनुवादक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 2 के सामने,—

(i) स्तंभ (1) में, "ज्येष्ठ अनुवादक" शब्दों के स्थान पर, "वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएँगी, अर्थात :-

(4)
"स्तर 7 (44900 - 142400 रु.)";

(iii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रोन्नति द्वारा उपशीर्ष में, "कनिष्ठ अनुवादक" शब्दों के स्थान पर, "कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) प्रोन्नति द्वारा उपशीर्ष में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु." शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400 - 112400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ग) प्रोन्नति द्वारा उपशीर्ष में टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(घ) प्रतिनियुक्ति द्वारा उपशीर्ष में, विषय (क) में, उप- विषय (ii) में, "वेतन बैंड-2, 9300 – 34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400 - 112400 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ङ) प्रतिनियुक्ति द्वारा उपशीर्ष में टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा ।

(ग) कनिष्ठ अनुवादक पद से सम्बंधित क्रम संख्या 3 के सामने,—

(i) स्तंभ (1) में, "कनिष्ठ अनुवादक" शब्दों के स्थान पर, "कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) स्तंभ (4) में प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएँगी, अर्थात :-

(4)
"स्तर 6 (35400 - 112400 रु.)";

(iii) स्तंभ (11) में,-

(क) प्रतिनियुक्ति द्वारा उपशीर्ष में, विषय (क) में, उप- विषय (ii) में, "वेतन बैंड-2, ग्रेड वेतन 2800" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "वेतन मैट्रिक्स में स्तर 5 (29200 – 92300 रु.)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) प्रतिनियुक्ति द्वारा उपशीर्ष में टिप्पण 3 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. ए-12011/3/2013-ए.टी.]

रश्मि चौधरी, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 282(अ), तारीख 07 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2021

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by section 35 read with sub-sections (1) and (2) of section 13 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Central Administrative Tribunal (Group 'A' and 'B' Hindi Posts) Recruitment Rules, 2016, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Central Administrative Tribunal (Group 'A' and 'B' Hindi Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Administrative Tribunal (Group 'A' and 'B' Hindi Posts) Recruitment Rules, 2016, (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix.- The number of said posts, their classification and the Level in the Pay Matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule,—

(a) against serial number 1, relating to the post of Assistant Director (Official Language),—

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely:-

"Level in Pay Matrix
(4)
Level 10 (Rs. 56100 - 177500)";

(ii) in column (11),-

(A) in the sub-heading Promotion, for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300 - 34800 with grade pay of Rs. 4600/-", the words, figures, brackets and letters "Level 7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) in the sub-heading Promotion, Note 2 shall be omitted;

(C) in the sub-heading By Promotion, for the words "Senior Translator", the words "Senior Translation Officer" shall be substituted;

(D) in the sub-heading Deputation, in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "Pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4600", the words, figures, brackets and letters "Level 7 (Rs. 44900 – 142400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(E) in the sub-heading Deputation, Note 4 shall be omitted.

(b) against serial number 2, relating to the post of Senior Translator,–

(i) in column (1), for the words "Senior Translator", the words "Senior Translation Officer" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

(4)
"Level 7 (Rs. 44900 - 142400)";

(iii) in column (11),-

(A) in the sub-heading By Promotion, for the words "Junior Translator", the words "Junior Translation Officer" shall be substituted;

(B) in the sub-heading By Promotion, for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300 – 34800/- with grade pay of Rs. 4200/-", the words, figures, brackets and letters "Level 6 (Rs. 35400 – 112400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(C) in the sub-heading By Promotion, Note 2 shall be omitted;

(D) in the sub-heading By Deputation, in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-2, Rs. 9300-34800 with grade pay of Rs. 4200", the words, figures, brackets and letters "Level 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(E) in the sub-heading By Deputation, Note 4 shall be omitted.

(c) against serial number 3, relating to the post of Junior Translator,–

(i) in column (1), for the words "Junior Translator", the words "Junior Translation Officer" shall be substituted;

(ii) in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:-

(4)
"Level 6 (Rs. 35400 - 112400)";

(iii) in column (11),-

(A) in the sub-heading By Deputation, in item (a), in sub-item (ii), for the words, figures and letters "pay band-2 with grade pay of Rs. 2800", the words, figures, brackets and letters "Level 5 (Rs. 29200 – 92300) in the Pay Matrix" shall be substituted;

(B) in the sub-heading By Deputation, Note 3 shall be omitted.

[F. No. A-12011/3/2013-AT]

RASHMI CHOWDHARY, Addl. Secy.

Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 282 (E), dated the 7th March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.11.02 22:29:21 +05'30'